

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ.2(485)सू.प्रौ./संस्था/2001/II/9910/2013

जयपुर, दिनांक: 30.7.2013

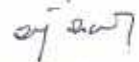
आदेश

श्री मनीष दर, सूचना सहायक (पूर्व पदनाम-डाटा एन्ट्री आपरेटर) को माननीय उच्च न्यायालय - विशेष न्यायालय (सती-निवारण) राजस्थान, जयपुर एवं अपर सेशन न्यायाधीश, जयपुर में विचारधीन अपराधिक प्रकरण संख्या सरकार/मनीष दर वगैरह केस नम्बर 11/2007 के अन्तर्गत ओ एस एक्ट की धारा 5(1) (अ) के अपराध का दोषी पाये जाने पर दो वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किये जाने एवं धारा 120बी, भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी पाये जाने पर छः माह के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किये जाने व धारा 72 सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराध का दोषी पाये जाने पर एक वर्ष के साधारण कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया जाकर आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराया गया है।

और यह माना गया है कि उक्त श्री मनीष दर, सूचना सहायक (पूर्व पदनाम-डाटा एन्ट्री आपरेटर) का वह आचरण जिसके कारण से सिद्ध दोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क.प2(31)कार्मिक/क-3/96 दिनांक 31.12.96 के बिन्दु संख्या 7(2) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा राज्य सेवक को अपराधिक आरोपो पर सिद्ध ठहराये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में अब अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री मनीष दर, सूचना सहायक (पूर्व पदनाम-डाटा एन्ट्री आपरेटर) को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से सेवा से बर्खास्त (Dismissal from service) करते हैं। श्री दर को दिनांक 20.4.2001 से 09.01.2013 तक की निलम्बन अवधि में नियमानुसार भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त उक्त अवधि से संबंधित अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुलिस विभाग, जयपुर।
- 3 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 4 उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 5 पुलिस अधीक्षक (अन्वेषण), सीआईडी (सीबी), जयपुर।
- 6 कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 7 संबंधित कर्मचारी।
- 8 लेखा शाखा।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली।

10. OTC (website)



(संजय ज. कर्णिक)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन
एवं कार्यालयाध्यक्ष